संख्या: 96/2019/2088 /छप्पन-2019-18/02 टी.सी.

प्रेषक,

डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन विभाग लखनऊ : दिनांक: 05 नवम्बर, 2019

विषय: रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अन्तर्गत चयनित अलीगढ़, आजमगढ़, श्रावस्ती और मुरादाबाद एयरपोर्ट के विकास कार्यों हेतु अनुमोदित लागत के सापेक्ष तृतीय किश्त की धनराशि तथा जी0एस0टी0 की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक- 431/ना0उ0नि0/2019 दिनांक 09 अक्टूबर, 2019 तथा पत्रांक- 460/ना0उ0नि0/2019 दिनांक 01 नवम्बर, 2019 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके द्वारा रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अन्तर्गत चयनित अलीगढ़, आजमगढ़, श्रावस्ती और मुरादाबाद एयरपोर्ट के विकास कार्यों हेतु अनुमोदित लागत के सापेक्ष तृतीय किश्त की धनराशि, जी0एस0टी0 की धनराशि तथा आजमगढ़ एयरपोर्ट पर मिट्टी भराई के कार्य हेतु निम्नवत गणनानुसार धनराशि रू0 990.006 लाख (रूपया नौ करोड़ नब्बे लाख छः सौ मात्र) वित्तीय स्वीकृति जारी करने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है:-

(Rs. in Lakh)

Project	Cost Approved	Total Amount Payable with GST (based on tender cost)	Amount Paid Till Sept 2019	5% Retention for Final Payment	Amount to be released
1	2	3	4	5	6
Azamgarh	1821.49 + GST	2020.769	1457.190	101.038	**462.541**
Aligarh	1883.65 + GST	1646.318	1506.920	82.316	**57.082**
Shravasti	2097.47 + GST	2045.622	1677.960	102.281	**265.381**
Moradabad	1907.62 + GST	1822.209	1526.096	91.110	**205.003**
Total	7710.23 + GST	7534.918	6168.166	376.746	**990.006**

2- रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अन्तर्गत चयनित अलीगढ़, आजमगढ़, श्रावस्ती और मुरादाबाद एयरपोर्ट को नो-फ्रिल्स एयरपोर्ट्स के रूप में विकसित किए जाने हेतु कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा गठित आगणन रू0 8675.21 लाख (रू0 2088.22 लाख + रू0 2144.75 लाख + रू0 2316.57 लाख + रू0 2125.67 लाख) के सापेक्ष परीक्षणोपरान्त प्रायोजना

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा उक्त परियोजनाओं की लागत रू0 7710.23 लाख + जी0एस0टी0 वास्तविकता के आधार पर देय (रू0 1883.65 लाख अलीगढ़ एयरपोर्ट हेतु + रू0 1821.49 लाख आजमगढ़ एयरपोर्ट हेतु + रू0 2097.47 लाख श्रावस्ती एयरपोर्ट हेतु + रू0 1907.62 लाख मुरादाबाद एयरपोर्ट हेतु + जी0एस0टी0 वास्तविकता के आधार पर देय) ऑकलित की गई है।

शासनादेश संख्या- 84/2018/1493/छप्पन-2018-18/02 टी.सी. दिनांक 14 अगस्त, 2018 द्वारा उक्त चारों परियोजनाओं हेतु रू0 7710.23 लाख + जी0एस0टी0 पर प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई, जिसके सापेक्ष उक्त परियोजनाओं हेतु अब तक रु0 6168.184 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। चारों परियोजनाओं की जी0एस0टी0 सहित कुल लागत रू0 7290.218 लाख है, जिसमें से वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप सं0- 1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22 मार्च, 2019 के अनुसार अन्तिम किश्त हेतु 5 प्रतिशत धनराशि को रोकते हुए निम्नलिखित विवरणानुसार रू0 757.540 लाख (रूपए सात करोड़ सत्तावन लाख चौवन हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त की जानी है:-

(धनराशि रू0 लाख में)

परियोजना का नाम	**स्वीकृत लागत**	**परियोजना की कुल लागत GST सहित (निविदा के आधार पर)**	**अब तक अवमुक्त धनराशि**	**परियोजना की अंतिम किश्त के रूप में 5% धनराशि (रोकने हेतु)**	**अवमुक्त की जा रही धनराशि**
जनपद आजमगढ़ में नो-फ्रिल्स एयरपोर्ट का विकास	1821.49 + GST	1776.069	1457.192	88.803	230.074
जनपद अलीगढ़ में नो-फ्रिल्स एयरपोर्ट का विकास	1883.65 + GST	1646.318	1506.920	82.316	57.082
जनपद श्रावस्ती में नो-फ्रिल्स एयरपोर्ट का विकास	2097.47 + GST	2045.622	1677.960	102.281	265.381
जनपद मुराबाद में नो-फ्रिल्स एयरपोर्ट का विकास	1907.62 + GST	1822.209	1526.096	91.110	205.003
योग	**7710.23 + GST**	**7290.218**	**6168.166**	**364.510**	**757.540**

3/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अन्तर्गत चयनित अलीगढ़, आजमगढ़, श्रावस्ती और मुरादाबाद एयरपोर्ट के विकास कार्यों हेतु अनुमोदित लागत के सापेक्ष उपर्युक्त विवरणानुसार तृतीय किश्त की धनराशि तथा जी0एस0टी0 की धनराशि सहित कुल रू0 757.540 लाख (रूपए सात करोड़ सत्तावन लाख चौवन हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में व्यय की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 22 मार्च, 2019 के प्रस्तर-2(8)(च) में उल्लिखित व्यवस्था का अनुपालन निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाएगा।

(2) पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या- 84/2018/1493/छप्पन-2018-18/02 टी.सी. दिनांक 14 अगस्त, 2018 में इंगित नियम एवं शर्तें यथावत् रहेंगी।

4- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुदान संख्या-38 के पूंजीगत लेखाशीर्षक "5053- नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-02-विमानपत्तन-800-अन्य व्यय-20 हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा भूमि अर्जन-24 वृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 22 मार्च, 2019 के प्रस्तर-2(1) एवं प्रस्तर- 2(8)(ड़) में उल्लिखित प्रावधान के अन्तर्गत निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव

संख्याः 96/2019/2088(1)/छप्पन-2019 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) उप महालेखाकार/ई0एस0-।।। आडिट भवन टी0सी0-35-वी-1 विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
(3) मुख्य कोषाधिकरी, जवाहर भवन, लखनऊ/ आजमगढ़/ अलीगढ़/ श्रावस्ती/ मुरादाबाद ।
(4) प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
(5) जिलाधिकारी, आजमगढ़/ अलीगढ़/ श्रावस्ती/ मुरादाबाद ।
(6) निजी सचिव, मा0 नागरिक उड्डयन मंत्री, उत्तर प्रदेश।
(7) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
(8) समीक्षा अधिकारी (बजट)।
(9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in